निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 121/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामलाल पुत्र श्री लादूराम जाति बलाई, निवासी ग्राम आकेडा डूंगर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री शंकर लाल सैनी आर. ए. एस. पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर।
2. उप तहसीलदार जालसू जिला जयपुर
3. रामस्वरूप बुनकर पुत्र श्री शम्भूदयाल जाति बलाई, निवासी ग्राम महेशवास कला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1956 बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 47/2017 व उनवानी रामलाल बनाम (सरकार) उप तहसीलदार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने ।

उपस्थित:–

1. श्री सुनील उप्पल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रभू सिंह राजावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 19.07.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ के समक्ष प्रकरण संख्या 47/2017 व उनवानी रामलाल बनाम (सरकार) उप तहसीलदार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रभू सिंह राजावत उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में पिछली कुछ तारीख पेशियों से जल्दी–जल्दी तारीख पेशियॉ अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से सम्पर्क कर प्राप्त की जा रहीं है। उक्त अपील में पिछली तारीख पेशी दिनांक 31.05.2022 नियत थी। जिस तारीख पेशी पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के सम्बन्धित न्यायालय में बैठने से पूर्व उनके चैम्बर में जा कर सम्पर्क किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 3 जब अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर से बाहर आया तो उसके द्वारा प्रार्थी को कहा गया कि आज अथवा एक दो पेशियों में ही वह उपरोक्त अपील का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 1 से अपने पक्ष में करवा लेगा जिसके सन्दर्भ में अप्रार्थी संख्या 3 की अप्रार्थी संख्या 1 से बातचीत हो गई है तथा अब अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थी संख्या 1 से साज कर उपरोक्त अपील जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में विचाराधीन है, को खारिज करवा देगा। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी को धमकी दिये जाने पर कुछ समय पश्चात ही अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में बैठने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने समक्ष विचाराधीन उक्त उनवानी अपील में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए प्रार्थी व उसके अधिवक्ता पर बहस हेतु समान्य अनुक्रम से अधिक दबाव बनाया गया तथा कहा गया कि यदि उनके द्वारा अपील में बहस नहीं की गई तो वह प्रकरण में बहस सुने बिना ही प्रकरण का निस्तारण कर देंगे। प्रार्थी के बहुत निवेदन करने पर प्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने समक्ष विचाराधीन अपील में आगामी पेशी दिनांक 07.06.2022 नियत की गई तथा दिनांक 07.06.2022 को अपील का निस्तारण करने हेतु कहा गया जिसे सुन कर प्रार्थी को काफी आश्चर्य हुआ। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव में ले कर अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में विचाराधीन उनवानी अपील के व्यक्तिगत रूप से अन्य प्रकरणों की तुलना में अधिक रूचि लेकर दुर्भावना पूर्ण सुनवाई की जा रही है जिससे प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा है कि अप्रार्थी सख्या 3 द्वारा अपनी राजनैतिक एवं प्रशासनिक पहुंच के बल पर अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी के हितों के विपरीत अपील को निस्तारित करने हेतु अनैतिक लाभ दिये जाने का लालच दिया जाकर प्रभाव में ले रखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी अपने सम्मुख प्रस्तुत अपील में अन्य प्रकरणों की तुलना में अधिक रूचि ली जा रही है। जिस कारण प्रार्थी जो कि वृद्व व्यक्ति है, को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है और उसकी बहस नहीं होने देना चाहता है। येनकेन प्रकारेण लम्बी तारीख पेशी लेने का प्रयास करता रहता है। प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से ही यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यदि फिर भी अन्यत्र न्यायालय में प्रकरण का स्थानान्तरण किया जाता है तो निर्णय के लिए एक समयावधि निर्धारित की जाकर अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरण कर दिया जावें।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. यद्यपि अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने भी अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण को अन्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 42/2017 व उनवानी रामलाल बनाम (सरकार) उप तहसीलदार व अन्य को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम में मुन्तकिल किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 16.08.2022 को उपस्थित हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर शीघ्र निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर